भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाना</u>

आवेदन संख्या: **सं. एवी-20021/2/2015-एएआई (एडी)**
आवेदक का नाम: अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पता: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली- 110003

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने सार्वजनिक उपयोग के लिए असम के कछार जिले के डोलू में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है, जो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा साइट मंजूरी/सैद्धांतिक अनुमोदन स्तर पर निर्धारित शर्तों/टिप्पणियों, केंद्रीय सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा की गई शर्तों/टिप्पणियों, यदि कोई हो, के अनुपालन, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों से संबंधित संचालन समिति द्वारा अपनी दिनांक 20.02.2026 को आयोजित बैठक में की गई टिप्पणियों के अनुपालन, हवाईअड्डा अवसंरचना नीति 1997/ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के प्रावधानों और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें</u>

i. परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 और नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय-समय पर जारी अन्य किसी नीति के अनुसार होना चाहिए।
ii. आवेदक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों की आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।
iii. आवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित किसी अन्य मंत्रालय/सांविधिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी/अनापत्ति

प्राप्त की जाएगी। साइट पर किसी भी प्रकार की विकास-पूर्व गतिविधियों की शुरुआत से पहले इसका निष्ठापूर्वक पालन करने की आवश्यकता है।

iv. भारत में कंपनी के प्रबंधन में वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों पर नियोजित किए जाने वाले विदेशी नागरिकों/भारतीय प्रतिनिधियों (गैर-सरकारी कार्मिक) हेतु गृह मंत्रालय/आसूचना ब्यूरो और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

v. हवाईअड्डा मास्टर प्लान में डिजाइन/मानकों को शामिल करके शुरू से ही नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 100% हरित ऊर्जा का उपयोग शामिल है।

vi. परियोजना प्रस्तावक/हवाईअड्डा विकासकर्ता समय-समय पर संशोधित की गई संबंधित डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के खण्ड-4 श्रृंखला-'एफ' भाग-I दिनांक 16.10.2006 का पालन करेगा।

vii. आवेदक द्वारा इस प्रमाण पत्र के जारी होने के पांच (5) वर्षों के भीतर विकास कार्य शुरू करना आवश्यक है। यदि विकास कार्य पांच (5) वर्षों के भीतर शुरू नहीं किए जाते हैं या परियोजना मूल प्रस्ताव से विचलन में पाई जाती है, तो इस प्रमाण-पत्र को बिना किसी और नोटिस दिए अमान्य माना जाएगा। यदि आवश्यक हो तो, पुनः आवेदन करने और नया 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(शंखेश मेहता)
निदेशक
टेली: 011-24653750

दिनांक: 13.03.2026